बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

–::संकल्प::–

दिनांक– 14 .01.2026

विषयः– राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति/उप सभापति एवं विधान सभा के माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पटना केन्द्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित आवास को अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त्त आवंटित करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण हेतु ''द बिहार मिनिस्टर्स सैलेरिज एण्ड अलाउएन्सेज एक्ट 1953'' के नियम–2A में निहित प्रावधानों के अंतर्गत भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना केन्द्रीय पूल से निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार सरकारी परिसर आवंटन प्रशासनिक पूल नियमावली, 1996 के नियम–4 के आलोक में विधानमंडल के माननीय सदस्यगणों के आवासन हेतु विधान परिषद् एवं विधान सभा पूल में पटना केन्द्रीय पूल से आवास हस्तांतरित किए जाते हैं। इन आवासों को विधान परिषद् एवं विधान सभा सचिवालय द्वारा मानक किराए पर माननीय सदस्यगण को आवंटित किया जाता है।

2. बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण हेतु विधायक आवासन परिसर, वीरचंद पटेल पथ, पटना में 243 उच्चतम श्रेणी के आवासों (प्रत्येक का निर्मित कुर्सी क्षेत्रफल 3681 वर्ग फीट) का निर्माण किया गया है तथा विधान सभा क्षेत्रवार कर्णांकित करते हुए इन आवासों को विधान सभा पूल में हस्तांतरित कर दिया गया है। इसी प्रकार बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण हेतु विधान पार्षद आवासन परिसर, आर ब्लॉक, पटना में 75 उच्चतम श्रेणी के आवासों (प्रत्येक का निर्मित कुर्सी क्षेत्रफल 3681 वर्ग फीट) का निर्माण किया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित करने की कार्रवाई की जा रही है।

3. विधानमंडल के माननीय सदस्यगण ही मंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। इस कारण माननीय मंत्री के रूप में पटना केन्द्रीय पूल से आवास आवंटन के उपरांत विधानमंडल पूल में उनके निर्वाचन क्षेत्र संख्या के लिए कर्णांकित आवासों के आवंटन के

संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों एवं माननीय मंत्रीगण हेतु आवास आवंटन की वर्तमान व्यवस्था निम्नवत है :–

i. बिहार विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय के द्वारा माननीय सदस्यगण को मानक किराया के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित 01 आवास आवंटित किया जाता है। साथ हीं वर्त्तमान में इन्हें अधिकतम 2500 यूनिट बिजली के खपत पर कोई देयता नहीं होती है। इससे अधिक बिजली खपत के बिल का भुगतान संबंधित सदस्य के द्वारा किया जाता है।

ii. माननीय मंत्रीगण को भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना केन्द्रीय पूल से निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस भवन के बिजली/अन्य प्रभार का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा देय होता है।

4. माननीय मंत्रीगण हेतु विधानमंडल पूल में माननीय सदस्य के रूप में उन्हें कर्णांकित आवास उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में इन आवासों के रख–रखाव/सुरक्षा में राशि अपव्यय होने की संभावना है। किसी अन्य को इसका आवंटन होने पर उक्त आवास कर्णांकित नहीं रह पाएगा, जिससे भविष्य में माननीय सदस्य को कठिनाई होगी।

5. उक्त परिस्थिति में राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण को पटना केन्द्रीय पूल से आवंटित आवासों के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र हेतु कर्णांकित आवास को अतिरिक्त आवास के रूप में निम्न शर्त्तों पर आवंटित किया जा सकता है:–

i. माननीय मंत्रीगण उनके निर्वाचन क्षेत्र हेतु कर्णांकित आवासों को मानक किराया के भुगतान के आधार पर संबंधित पूल से अपने नाम से आवंटित करा सकते हैं।

ii. आवंटन विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय द्वारा माननीय सदस्य के आवेदन पर किया जायेगा, जिस सदन के वे सदस्य होंगे।

iii. इन आवासों में माननीय सदस्य को स्वयं विद्युत शुल्क का वहन करना होगा।

iv. इन आवासों में कोई अन्य मंत्री स्तरीय सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी तथा आवासन से अतिरिक्त इनका अन्य किसी प्रयोजन से उपयोग नहीं किया जायेगा।

v. माननीय मंत्रीगण के मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं रहने की स्थिति में अथवा पटना केन्द्रीय पूल के आवास को रिक्त करने की स्थिति में वे विधान परिषद्/विधान सभा पूल में अपने निर्वाचन क्षेत्र हेतु कर्णांकित आवास को अन्य सदस्यगण को प्रदत सुविधाओं के अनुसार उपभोग कर सकेंगे।

vi. आवास आवंटन नियमावली के अन्य सभी नियम पूर्ववत् लागू रहेंगे।

6. माननीय मंत्रीगण के समरूप कंडिका–5 के प्रावधान, बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति/उप सभापति एवं विधान सभा के माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए भी मान्य होंगे।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/1/26

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–भवन/भू–संपदा–09–आवास(विधानमंडल)–03/2025 452(अ) दिनांक– 14/1/26

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (ई–गजट शाखा), बिहार पटना को राजपत्र में असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

13/1/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–भवन/भू–संपदा–09–आवास(विधानमंडल)–03/2025 452(अ) दिनांक– 14/1/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता/केन्द्रीय भवन प्रमण्डल सं0–2/गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल/पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल/पटना भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/1/26

सरकार के सचिव।